सरकारी क्षेत्र में एसवीपी के लिए अल्पकालिक रूपया ऋण (एसटीएल) योजना

1. उद्देश्य एवं ऋण का उद्देश्य

ईंधन,अनुरक्षण कलपुर्ज़ों, परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय , प्राप्य इत्यादि के लिए नियामक मानदंडों (जैसे ई आर सी मानदंड ,आर बी आई मानदंड)के रूप में अपनी कार्यशील पूंजी की आवशयकता को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के एस पी वी के लिए अल्पकालिक रूपया वित्त प्रदान करने के लिए अल्पकालिक रूपया ऋण (एस टी एल)योजना की परिकल्पना करता है।

2. पात्रता मानदंड

(i) यह योजना सरकारी क्षेत्र के एस पी वी के लिए खुली होगी ,जहां सभी प्रमोटर सरकार या सरकारी कंपनियाँ हैं।

(ii) एस पी वी को पी एफ सी का मौजूदा उधारकर्ता होना चाहिए (उन उधारकर्ताओं को मौजूदा उधारकर्ता कहा जाएगा जिन पर दीर्घावधि के ऋण (परियोजना वित्त)के अंतर्गत बकाया राशि हो।

(iii) उधारकर्ता इकाई (अर्थात एसपीवी) पीएफसी का घोषित चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

(iv)

नोट: सरकारी क्षेत्र के उधारकर्ताओं की परिभाषा वही होगी जैसा कि पी एफ सी के विवेकपूर्ण मानदंडों में दी गई है।

<u>निष्कर्ष</u>: इस योजना के अंतर्गत पीएफसी/बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पहले से ही वित्त पोषित मदों के लिए सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

3. सहायता की सीमा

सहायता की राशि को नियामक मानदंडों (जैसे ईआरसी मानदंड, आरबीआई मानदंड) के आधार पर निकाली गई कार्यशील पूंजी आवश्यकता के 25% तक सीमित किया जाएगा। उन मामलों, जहां परियोजना में एक से अधिक इकाई है, की सभी इकाइयों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता का मूल्यांकन किया जा सकता है। सीमा की रिलीज को इकाई-वार चालू इकाई से जोड़ा जाएगा।

4. चुकौती अवधि

इस योजना के अंतर्गत ऋण को संवितरण तारीख से रोलओवर विकल्प के साथ अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर चुकाया जाएगा। उपर्युक्त अवधि में रोलओवर शामिल है और अधिकतम रोलओवर अवधि एक बार में एक

वर्ष से अधिक नहीं हो सकती।

5. ब्याज दर

पीएफसी द्वारा ऐसे अल्पकालिक ऋण (एसटीएल) के लिए समय-समय पर घोषित ब्याज दरें लागू होंगी।

6. स्वीकृति एवं ऋण प्रशासन

उधारकर्ता द्वारा अल्पकालिक ऋण के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा। ऋण रोलओवर विकल्प के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जाएगा। प्रारम्भिक स्वीकृति और रोलओवर की कुल अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसे रोलओवर पर पी एफ सी स्वविवेक से विचार करेगा बशर्ते उधारकर्ता ने रोलओवर तारीख तक एस टी एल पर पूरा बकाया ब्याज एवं अन्य प्रभार का भुगतान कर दिया है और मौजूदा नीति के अनुसार अन्य पात्रता मानदंड को पूरा करता हो। पी एफ सी के विवेक पर रोलओवर को दोहराया जा सकता है बशर्ते कि पहली स्वीकृति अवधि और रोलओवर अवधि का पूर्ण योग 3 वर्षों से अधिक न हो।

आरंभिक/बाद के रोलओवर के समय उधारकर्ता नीचे दिये विकल्प 1 और 2 के अनुसार आगे रोलओवर के विकल्प चुन सकता है।

(I) विकल्प 1 (बुलेट चुकौती विकल्प): ऋण को 30 दिनों के गुणकों में 30 दिन से 1 वर्ष की अवधि (मूलधन लौटाए बिना) के लिए रोलओवर किया जाएगा। ऐसे रोलओवर को पी एफ सी के विवेक पर दोहराया जा सकता है बशर्ते पहली स्वीकृति अवधि और रोलओवर अवधि का पूर्णयोग 3 वर्ष से अधिक न हो।

(II) विकल्प 2 (ईएमआई विकल्प): ऋण को एक वर्ष की अवधि के लिए रोलओवर किया जाएगा। मूलधन की चुकौती के लिए 2 महीने का अधिस्थगन लागू होगा। तथापि ब्याज और अन्य प्रभारों के भुगतान पर कोई अधिस्थगन नहीं होगा, जिसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा। मूलधन पर 2 महीने के अधिस्थगन के बाद उधारकर्ता मूलधन और ब्याज की ईएमआई की चुकौती करेगा।

ईएमआई मूलधन चुकौती पर 2 महीने के अधिस्थगन के पश्चात शुरू प्रत्येक महीने के 15वें दिन देय होगी।

उधारकर्ता द्वारा ब्याज और अन्य प्रभार ,यदि कोई हो, का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। परिपक्वता पर (अर्थात स्वीकृति /रोलओवर की समाप्ति पर)शेष बकाया समय के लिए मूलधन, ब्याज और अन्य प्रभार की राशि देय होगी।

7. समय सीमा

प्रति उधारकर्ता की वित्तपोषण सीमा को अधिकतम 500 करोड़ तक सीमित किया जाएगा।

उपर्युक्त उच्चतम सीमा को विवेकपूर्ण मानदंडों में दी गई ऋण सीमा के भीतर विनियमित करने के लिए जारी रखा जा सकता है।

8. प्रतिभूति

निलंबलेख(एस्क्रो)/टीआर खाते के साथ कार्यशील पूंजी उधारदाताओं के समरूप आधार पर सरकारी गारंटी/परिसंपत्तियों पर प्रभार कार्यशील पूंजी आवश्यकता के संबंध और दीर्घावधि के उधारदाताओं द्वारा मार्जिन धन के रिलीज के अधीन होगी। पीएफसी प्रस्ताव के मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यक हो तो, अतिरिक्त प्रतिभूति/जमानत मांग सकता है ।

एस्क्रो कवर के लिए कवर कारक को 1.0 गुणा लिया जाएगा ।

(9) **संवितरण प्रक्रिया**

कार्यरत पूंजी बैंक के माध्यम से एसटीएल का वितरण किया जाएगा । जहां, कार्यरत पूंजी बैंक ने टीआरए के माध्यम से संवितरण किया है तो, पीएफसी भी एसटीएल के माध्यम से ऋण का संवितरण करेगा। यदि टीआरए बैंक कार्यशील पूंजी बैंक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है तो, प्रत्येक संवितरण के मामले में पीएफसी कार्यशील पूंजी उधारकर्ता/प्रमुख बैंक को सूचित करेगा । कॉर्पोरेशन द्वारा दीर्घावधि ऋणों के तहत दावों का भुगतान करने के लिए मौजूदा प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। ऋण, यूनिट/परियोजना की कुल कार्यशील पूंजी आवश्यकता तथा दीर्घावधि उधारकर्ताओं द्वारा मार्जिन धनराशि जारी करने की प्रत्याशा में जारी किया जाएगा।

***